

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर 2014—भाद्र 17, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-56-2014-1-पांच (47).—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 9 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) आगत कर रिबेट के संबंध में कोई दावा, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा धारा 14 के अधीन किया जाए, विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जारी किए गए किसी ऐसे देयक, बीजक या नगदी ज्ञापन द्वारा अर्हित किया जाएगा जिसमें उसके द्वारा धारा 9 के अधीन संग्रहीत किए गए कर की रकम को पृथक् से उपदर्शित किया जाएगा तथा क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के टिन का उल्लेख किया जाएगा. विक्रेता रजिस्ट्रीकृत, व्यापारी ऐसे देयक, बीजक या नगदी ज्ञापन के प्रतिपण या दूसरी प्रति में क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के टिन का भी उल्लेख करेगा और विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी की विवरणी में जहा कहीं भी अपेक्षित हो उसे सम्मिलित किया जाएगा. आगत कर रिबेट के संबंध में कोई ऐसा दावा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा अपनी विवरणी में, यथास्थिति प्ररूप 10.1 या प्ररूप 10.2 में किया जाएगा. जब तक कि विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उक्त बिल, बीजक या नगदी ज्ञापन में यथाउल्लिखित क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का टिन पृथक् से उपदर्शित न किया गया हो, ऐसा दावा नहीं किया जायेगा या किए जाने के लिए उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.”;

- (2) नियम 11 में, उपनियम (1) में, खण्ड (तीन) में, शब्द “किसी वकील” के स्थान पर, शब्द “किसी वकील या चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट” स्थापित किए जाएं;
- (3) नियम 45-क में, उपनियम (1) में शब्द “एक कलैण्डर मास की कालावधि के दौरान” के स्थान पर शब्द “एक तिमाही के दौरान” स्थापित किए जाएं;
- (4) नियम 45-ख में, उपनियम (1) में शब्द “एक कलैण्डर मास की कालावधि के दौरान” के स्थान पर शब्द “एक तिमाही के दौरान” स्थापित किए जाएं;
- (5) नियम 48 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) प्रतिदाय भुगतान आदेश व्यापारी को परिदत्त किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित कोषालय अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी.”;

- (6) नियम 70 में, उपनियम (3) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह भी कि,—

(क) यदि परिवहनकर्ता विभाग को एस.एम.एस. द्वारा ऐसी विशिष्टियां अर्थात् मध्यप्रदेश के/मध्यप्रदेश के बाहर के व्यापारी का टिन, अन्य राज्य के व्यापारी का टिन, वस्तु का कोड, वस्तुओं का विवरण और मात्रा (ऐच्छिक), इनवाईस क्रमांक व तारीख इनवाईस की रकम, वाहन क्रमांक, चालक का मोबाईल नम्बर (ऐच्छिक), मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश की अनुमानित तारीख व समय (ऐच्छिक) भेजकर अभिप्राप्त की गई घोषणा “ई-गतिमान” एस.एम.एस. (मोबाईल) के रूप में अपने साथ रखता है तो धारा 57 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन घोषणा अपने साथ रखने की अपेक्षा का अनुपालन कर दिया गया समझा जाएगा. घोषणा “ई-गतिमान” में घोषणा क्रमांक, मध्यप्रदेश के/मध्यप्रदेश के बाहर के व्यापारियों का टिन, वस्तु, इनवाईस क्रमांक व तारीख, इनवाईस की रकम, वाहन क्रमांक तथा ऐसे अन्य विवरण जो कि आयुक्त द्वारा विनिश्चित किए जाएं, अंतर्विष्ट होंगे;

(ख) घोषणा “ई-गतिमान”, जारी किये जाने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के लिए वैध होगी.”.

- (7) प्ररूप 39 में, शब्द “एम आई सी आर कोड” के स्थान पर, शब्द “आई एफ एस कोड” स्थापित किए जाएं.

2. (क) खण्ड (3) और (4) द्वारा किए गए संशोधन 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों को लागू होंगे.

(ख) शेष संशोधन 8-9-2014 से लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-56-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-56-2014-1-पांच (47), दिनांक 8 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 8th September 2014

No. F-A-3-56-2014-1-V (47).—WHEREAS the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) Any claim in respect of input tax rebate that may be made by a registered dealer under section 14, shall be qualified by a bill, invoice or cash memorandum issued by the selling registered dealer in which the amount of tax under section 9 collected by him has been indicated separately and TIN of the purchasing registered dealer has been mentioned. The selling registered dealer shall also mention the TIN of the purchasing registered dealer in counterfoil or duplicate copy of the bill, invoice or cash memorandum and the same shall be included in the return of the selling registered dealer wherever required. Any such claim in respect of the input tax rebate shall be made by such registered dealer in his return in Form 10.1 or Form 10.2 as the case may be. No such claim shall be made or be allowed unless the said bill, invoice or cash memorandum indicates separately TIN of the purchasing registered dealer as mentioned therein by the selling registered dealer.”;

(2) in rule 11. in sub-rule (1), in clause (iii), for the words “a lawyer”, the words “a lawyer or chartered accountant” shall be substituted.

(3) in rule 45-A, in sub-rule (1), for the words “during a period of one calendar month”, the words “during a quarter” shall be substituted.

(4) in rule 45-B, in sub-rule (1), for the words “during a period of one calendar month”, the words “during a quarter” shall be substituted.

(5) in rule 48, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The refund payment order shall be delivered to the dealer and a copy thereof shall be forwarded to the Treasury Officer concerned.”.

(6) in rule 70 in sub-rule (3), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely.—

“Provided also that,—

(a) if the transporter carries with him a declaration “e- Gatiman” in the form of S. M. S. (mobile) obtained after sending particulars i.e. in/out, Madhya Pradesh dealer’s TIN, other State dealer’s TIN, commodity code, commodity details and quantity (optional), invoice number and date, invoice amount, vehicle number, driver’s mobile number (optional), date and approximate time (optional) of entry in State of Madhya Pradesh, by S.M.S. to the department, shall be deemed to have complied with the requirement made under clause (a) of sub-section (2) of Section 57 of carrying declaration with him. The declaration “e-Gatiman” shall contain the particulars of declaration number, in/out, Madhya Pradesh dealer’s TIN, commodity, invoice number and date, invoice amount, vehicle number and any other detail as may be decided by the Commissioner;

(b) The declaration E-gatiman shall be valid for a period of thirty days from the date of issue.”.

(7) In Form 39, for the ward “MICR Code”, the words “IFS Code” shall be substituted.

2. (a) The amendments made by clauses (3) and (4) shall be applicable to the periods commencing on or after 1-4-2014.

(b) The remaining amendments shall come into force from 8-9-2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.